

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प्री-पीजी/2017/146

दिनांक

23.2.17

समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कॉलेज।

निदेशक (ईएसआई), राजस्थान जयपुर।

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।


समस्त अधीक्षक जेल, राजस्थान।

अन्य नियंत्रण अधिकारी।

विषय:- प्री-पीजी 2017 में सेवारत कोटे से पात्र चिकित्सकों के आवेदन पत्रों की अनुशंषा कर भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्री-पीजी 2017 हेतु आपके अधीन कार्यरत सेवारत चिकित्सकों को सेवारत कोटे से प्री-पीजी में आवेदन करने के लिए संलग्न निर्धारित प्रपत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात दिनांक 17.03.2017 सायं 5.00 बजे तक आवश्यक रूप से अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित) के कमरा नंबर 16, निदेशालय मुख्यालय जयपुर में जमा करवाकर पावती प्राप्त करने हेतु निर्देशित करें एवं आवेदन प्रपत्रों पर स्पष्ट अनुशंषा कर भिजवाये साथ ही संलग्न निर्देश (क्रम संख्या 1 से 10) की पालना अपने स्तर से सुनिश्चित कर लें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर


क्रमांक : प्री-पीजी/2017/146

दिनांक

23.2.17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज समस्त को उक्त सूचना प्रेषित करने हेतु अपने स्तर से भी निर्देश प्रदान करावें।
3. निदेशक (आर.सी.एच./एड्स), निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित), मुख्यालय।
5. समस्त पात्र सेवारत चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि वे संलग्न आवेदन प्रपत्र दो प्रतियों में पूर्णतया सत्य तथ्यों को अंकित करते हुए नियंत्रण अधिकारी से अनुशंषा करवाकर वर्णित दिनांक तक भिजवाना सुनिश्चित करें। अंतिम तिथि पश्चात प्रेषित आवेदन प्रपत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे। गलत सूचना देने अथवा सूचना छुपाने पर पडने वाले विपरीत प्रभाव के लिए चिकित्सक स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देश है कि उक्त पत्र अविलम्ब विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुए समस्त नियंत्रण अधिकारियों को ई-मेल करावें।


निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

:- प्री-पीजी सेवारत कोटे में पात्रता हेतु आवेदन प्रपत्र :-

- नाम चिकित्सक (अंग्रेजी व हिन्दी दोनों में) —
- जन्मतिथि —
- ऑल इंडिया पीजी 2017 रोल नम्बर —
- मोबाईल नम्बर —
- वर्तमान पदस्थापन स्थान —

नियुक्ति का प्रकार	जिले का नाम	पदस्थापन स्थान	कब से (DD/MM/YY)	कब तक (DD/MM/YY)	शहरी क्षेत्र	सामान्य ग्रामीण क्षेत्र (3 वर्ष)	मरु/जनजाति क्षेत्र में स्थित ग्रामीण क्षेत्र (2 वर्ष)	अवैतनिक अवकाश (EOL) कब से कब तक (DD/MM/YY) to (DD/MM/YY) (इस अवधि को गणना योग्य अवधि में सम्मिलित नहीं किया जावे)	शहरी क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति/कार्यसम्पादन अवधि कब से कब तक (DD/MM/YY) to (DD/MM/YY) (इस अवधि को गणना योग्य अवधि में सम्मिलित नहीं किया जावे)
संविदा									
यू.टी.बी.									
आरपीएससी/आरयूएचएस वर्ष 2011									

शहरी क्षेत्र में की गई सेवा की अवधि —

सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में की गई सेवा की अवधि —

मरु/जनजाति क्षेत्र में स्थित ग्रामीण क्षेत्र में की गई सेवा की अवधि —

(अवैतनिक अवकाश (EOL) एवं शहरी क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति/कार्यसंपादन अवधि को ग्रामीण सेवा अवधि की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाए)

गणना योग्य कुल सेवा अवधि (30.04.2017 तक) —

नोट :- सेवारत कोटे में पूर्व में पीजी पूर्ण करने/वर्तमान में अध्ययनरत रहने/प्रवेश लेने के पश्चात त्यागपत्र देने संबंधी विवरण

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सूचना जो मेरे द्वारा भरी गई है पूर्णतया सत्य है। इसमें कोई तथ्य गलत अंकित/छुपाया नहीं गया है। यदि इन तथ्यों में कोई असत्यता पाई जाती है तो इस संबंध में पड़ने वाले विपरीत प्रभाव/अनुशासनात्मक कार्यवाही की संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।

हस्ताक्षर प्रार्थी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि चिकित्सक के उक्त विवरण का मिलान सेवाभिलेख से करने के पश्चात ही सत्यापित किया गया है जो कि सही है। डॉ. द्वारा अनिवार्य सेवा सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में 3 वर्ष/मरु या जनजाति क्षेत्र में स्थित ग्रामीण क्षेत्र में 2 वर्ष पूर्ण कर ली गई है। नियंत्रण अधिकारियों के लिए आवश्यक निर्देशों 1 से 10 की पालना कर ली गई है। चिकित्सक को सेवारत कोटे से प्रीपीजी 2017 हेतु पात्र माने जाने की अनुशंसा की जाती है।


नियंत्रण अधिकारी हस्ताक्षर (संलग्न निर्देशों में क्र.सं. 1 के अनुसार)

प्रतिहस्ताक्षर

निदेशक (जन स्वास्थ्य)

नियंत्रण अधिकारियों हेतु आवश्यक निर्देश –

1. सेवारत कोटे में पात्रता की गणना पूर्णतया संबंधित निदेशक/प्रधानाचार्य/अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य नियंत्रण अधिकारी द्वारा अग्रेषित प्रमाण प्रपत्र के आधार पर की जाएगी।
2. संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के नवीनतम स्थिति हेतु प्रपत्र अग्रेषित करने से पूर्व स्थानीय राजस्व अधिकारी से इसकी पुष्टि आवश्यक रूप से कर ली जाए।
3. योग्य अवधि की गणना RUHS Ordinance 278-E-IV एवं वित्त विभाग के Rural Allowance का Notification दिनांक 26.12.2011 के आधार पर की जानी है (संलग्न)। ग्रामीण/मरू/जनजाति/हिली क्षेत्र की जिलेवार सूची (ब्लॉकवार) विभागीय वेबसाइट पर पत्रांक 1608 दिनांक 26.12.2013 के द्वारा अपलोड की गई है। उक्त सूची के संबंध में नवीनतम जानकारी स्थानीय राजस्व विभाग से आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जाए।
4. पात्रता की गणना में चिकित्सक द्वारा स्वीकृत अथवा अनिर्णित अवैतनिक अवकाश (EOL) अवधि को सम्मिलित नहीं किया जाए।
5. शहरी क्षेत्र में कार्य संपादन/प्रतिनियुक्ति अवधि को गणना योग्य अवधि में सम्मिलित नहीं किया जाए।
6. दिनांक 30.04.2017 तक की सेवा अवधि को गणना हेतु सम्मिलित किया जाए।
7. पूर्ण आवेदन जिसे नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है की एक अग्रिम स्पष्ट पठनीय छायाप्रति अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित) के **E-mail ID - addldirgaz@gmail.com** पर भिजवाते हुए 2 मूल प्रतियां संबंधित चिकित्सक को लौटा दी जाए। संबंधित चिकित्सक इन्हें व्यक्तिगत रूप/पत्रवाहक के साथ दिनांक **17.03.2017 सायं 5.00 बजे** तक अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित) के कमरा नं. 16, स्वास्थ्य भवन, जयपुर में जमा करवाकर पावती प्राप्त कर लें। उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा जिसके लिए संबंधित चिकित्सक स्वयं जिम्मेदार होगा।
8. अग्रेषित प्रपत्रों पर निदेशक (जन स्वास्थ्य) के प्रति हस्ताक्षर करवाने से पूर्व प्रपत्रों को ज्यों का त्यों पारदर्शिता के उद्देश्य से विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। उक्त संबंध में लिखित आपत्ति मय सिद्ध करने वाले दस्तावेजों सहित अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित) के कमरा नं. 16, स्वास्थ्य भवन, जयपुर में दिनांक **24.03.2017** तक प्राप्त की जावेगी।
9. सेवारत कोटे में पूर्व में पी.जी. कर चुके/वर्तमान में पी.जी. कर रहे/पी.जी. में प्रवेश लेने के पश्चात त्यागपत्र दे चुके चिकित्सकों के पुनः सेवारत कोटे से पात्र होने हेतु प्रकरण निर्णयार्थ राज्य सरकार को प्रेषित किए जायेंगे।
10. चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र को आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुशंसा किए जाने से पूर्व उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर ली जाए। यदि इस संबंध में कोई अभ्यावेदन अथवा न्यायिक कार्यवाही अमल में लाई जाती है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित चिकित्सक/नियंत्रण अधिकारी की होगी।



4

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)**

NOTIFICATION

No. F. 14(92)FD/Rules/2008


Jaipur, dated **26 DEC 2011**

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan is pleased to make the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008, namely:-

1. These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay)(Fifth Amendment) Rules, 2011.
2. These rules shall be deemed to have come into force with effect from 20.12.2011.
3. In the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008, in Schedule II - Special Pay - the existing entry appearing at S. No. 10 under heading "Medical Department - (i) General Branch" shall be substituted by the following, namely:-

S. No.	Name of the Post	Rate of Special Pay in Rupees per month	Remarks
1	2	3	4
10.	Medical Officer / Senior Medical Officer posted in Rural Dispensaries and Primary Health Centres situated at places other than Municipal Towns.	500	The grant of Special Pay (Rural Allowance) shall be subject to the fulfillment of following conditions:- (i) that the places are not Tehsil Headquarters. (ii) that the places are Tehsil Headquarters but have population below 5000. (iii) Medical Officer/ Senior Medical Officer resides at the place as in (i) or (ii) above.

By Order of the Governor,


(Akhli Arora)
Secretary to the Government,
Finance (Budget)

5

Copy forwarded to -

1. Principal Secretary to H.E. Governor.
2. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister.
3. All Special Assistants / Private Secretaries to Ministers / State Ministers.
4. All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries/Special Secretaries to the Government.
5. D.S. to Chief Secretary.
6. Accountant General Rajasthan, Jaipur (200 copies).
7. All Heads of the Departments.
8. Director, Treasuries & Accounts, Rajasthan, Jaipur with 100 spare copies for sending to all Sub-Treasury Officers.
9. Director, Pension & Pensioners' Welfare Department, Rajasthan, Jaipur.
10. Deputy Director (Statistics), Chief Ministers' Office.
11. All Treasury Officers.
12. All Sections of the Secretariat.
13. Administrative Reforms (Gr.7) with 7 copies.
14. Vidhi Rachana Sanghathan, for Hindi translation.
15. System Analyst, Finance Department (Computer Cell). P

Copy also to the -

1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur with 20 extra copies for Subordinate Legislative Committees.
2. Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur / Jaipur.
3. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
4. Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Rajasthan, Jaipur.


(Aditya Pareek)
Officer on Special Duty

(RPS'08 - 13 / 2011)

6

counseling. The candidate shall not be allowed to withdraw and submit a fresh preference list in writing at the time of his / her counseling and not later in any circumstances, except when such notification is issued by Rajasthan P.G. Admission Board. The presence of candidate or his / her authorized representative at the time of offline counseling, if any, conducted by Rajasthan Post-Graduate Admission Board is essential, along with all documents in original.

(xv) The candidate is entitled for reshuffle only if he/she joins and continues to attend the allotted P.G. Degree Course, failing which his/her selection will be terminated. If a candidate has furnished the choice of non-recognized subject and joins the course, he/she shall not be allowed to change the subject except in reshuffle.

(xvi) The vacancies due to not joining of the candidates within the stipulated time shall be filled by reshuffling by the Rajasthan P.G. Admission Board, on the basis of merit-cum-preference list already submitted and the resultant vacancies of such vacancies which cannot be filled by reshuffling, shall be filled by taking candidates from the waiting list of on 'Merit-cum-preference list' given in writing at the time of his/her counseling, at the earliest, but not later than two months from the initial selection. No admission shall be made after two months from the date of initial selection even if any vacancy is left unfilled or any vacancy occurs subsequent.

NOTE : The period of training will be 3 years in that particular subject/specialty. Increase in the period of training due to reshuffle will be at candidate's risk. =

O.278-E-IV (Eligibility for Admission)

All candidates seeking admission to M.D./M.S/ M.D.S. Courses must have completed satisfactorily one year's compulsory rotating internship after passing the final M.B.B.S. / B.D.S. Examination or would be completing the compulsory rotating internship latest by 30th April of the year of selection and must have registration with Rajasthan Medical Council / Rajasthan Dental Council (Provisional or Permanent). Candidates already registered with any other Medical Council / Dental Council recognized by Medical Council of India / Dentist Council of India shall be required to register with Rajasthan Medical Council / Rajasthan Dental Council before the start of PG course.

O.278-E-IV (Eligibility for Admission)

(i) For seats referred at sub-clause (a) of clause-II the Eligibility shall be laid down by the Govt. of India from time to time.

(ii) For seats reserved for in-service candidates as referred at clause-II-b) the candidates should be duly selected under Rajasthan Medical & Health Services Rules, 1963 or should be working as Medical Officer in Rajasthan Medical & Health Services on adhoc/temporary /contractual basis and should be below the age of 45 years and should have completed at least three years of service in the rural areas of the State of Rajasthan or two years of continuous service of Rural Areas of desert/Hilly/ Tribal parts of the state. Rural area is defined as a Rural area where rural allowance is admissible to the doctors and should have actually served in the rural area. In-service candidates who have served for at least three years in rural areas of the State of Rajasthan or at least two years in rural areas of desert/hilly/tribal parts of the State of Rajasthan shall be considered for admission to Degree (MD/M.S) courses.

For admission to MDS courses as an in-service candidate, the candidate should have completed at least three years continuously in Government service in the State of Rajasthan after selection under Rajasthan Medical Service (Collegiate Branch) Rules, 1962 or under Rajasthan Medical & Health Services Rules, 1963 or should be working as Medical Officer in Rajasthan Medical & Health Services on adhoc/temporary/ contractual basis or regularly selected by RUHS and should be below the age of 45 years.

(iii) For Seats not reserved in sub-clauses (a) & (b) of clause-II, candidates must have passed Final M.B.B.S./B.D.S. examination from the university of Rajasthan /Rajasthan university of Health Sciences.

(iv) In case the candidate requires eligibility after passing Pre.-P.G. examination in the subsequent year for admission in other specialist he/she will have to produce (i) Cancellation of Registration from the Rajasthan



RUHS ordinance